

अनुसूचिति जाति और अनुसूचिति जनजाति अधनियम, 1989 पर नरिणय

प्रलिमिस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [अनुसूचिति जाति](#), [अनुसूचिति जनजाति](#), [अग्रमि जमानत](#), [वधिन सभा के सदस्य](#), [वशिष्ठ न्यायालय](#)

मेन्स के लिये:

नीतियों के डिज़िडन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, अनुसूचिति जाति और अनुसूचिति जनजाति (अत्याचार नविरण) अधनियम, 1989

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने [अनुसूचिति जाति और अनुसूचिति जनजाति \(अत्याचार नविरण\) अधनियम, 1989](#) के संबंध में एक महत्वपूर्ण नरिणय दिया। न्यायालय ने जसि महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया, वह यह था कि [अनुसूचिति जाति \(SC\)](#) या [अनुसूचिति जनजाति \(ST\)](#) के सदस्यों को धमकाने या उनका अपमान करने के कृत्य स्वतः ही अधनियम के उल्लंघन हैं या नहीं।

- यह नरिणय एक YouTube चैनल के संपादक को [अग्रमि जमानत](#) देने के संदर्भ में आया, जसि पर अधनियम के तहत आरोप लगे थे।

SC/ST अधनियम, 1989 के तहत अपमान पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या नरिणय है?

- मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला इन आरोपों पर आधारित था कि संपादक (YouTuber) ने [वधिन सभा के एक सदस्य \(MLA\)](#) के बारे में अपमानजनक टपिकी की थी, जो SC समुदाय से संबंधित है।
- सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय:
 - अधनियम का दायरा: सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि SC/ST के सदस्यों को नशिना बनाकर किया गया अपमान या धमकी अनुसूचिति जाति और अनुसूचिति जनजाति (अत्याचार नविरण) अधनियम, 1989 के तहत स्वतः ही अपराध नहीं माना जाता।
 - यदि अपमान या धमकी पीड़ित की जातिगत पहचान से वशिष्ठ रूप से जुड़ा है तो ही अधनियम लागू किया जाना चाहयि।
 - अधनियम की धारा 3(1)(r) के तहत न्यायालय ने 'अपमान करने के इरादे' की व्याख्या पीड़ित की जातिगत पहचान से नकिटा से जुड़े होने के रूप में की।
 - केवल पीड़ित की SC/ST स्थिति जानना पर्याप्त नहीं है; अपमान का उद्देश्य जाति के आधार पर अपमानित करना होना चाहयि।
 - धारा 18 पर स्पष्टीकरण: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधनियम की धारा 18, जो परंपरागत रूप से अग्रमि जमानत को प्रतिबिंधित करती है, ऐसी जमानत देने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाती।
 - न्यायालयों को धारा 18 लागू करने से पहले यह नरिधारित करने के लिये प्रारंभिक जाँच करनी चाहयि कि किया आरोप अधनियम के तहत अपराध के मानदंडों को पूरा करते हैं।
 - न्यायालय ने संपादक को अग्रमि जमानत दे दी, क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि उसके द्वारा की गई टपिकी वधियक की जातिगत पहचान के कारण उन्हें अपमानित करने के इरादे से की गई थी।
 - नष्टिकरण के आधार पर न्यायालय ने यह कहा कि संपादक की टपिकी का उद्देश्य वधियक की अनुसूचिति जाति की स्थिति के आधार पर अपमान करना नहीं था।

अनुसूचिति जाति और अनुसूचिति जनजाति (अत्याचार नविरण) अधनियम, 1989 क्या है?

- परिचय: अनुसूचिति जाति और अनुसूचिति जनजाति (अत्याचार नविरण) अधनियम, 1989, जसि SC/ST अधनियम 1989 के रूप में भी जाना जाता है, एससी और एसटी के सदस्यों को जाति-आधारित भेदभाव और हस्ति से बचाने के लिये अधनियमति किया गया था।
- भारतीय संवधिन के अनुच्छेद 15 और 17 में नहिति, इस अधनियम का उद्देश्य इन हाशयि पर स्थिति समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चिति करना और पछिले कानूनों की अपराधिता को दूर करना है।

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** यह अधनियम असपृश्यता (अपराध) अधनियम, 1955 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधनियम, 1955 पर आधारित है, जो जातियों के अधार पर असपृश्यता तथा भेदभाव को समाप्त करने के लिये स्थापित किया गया था।
- **नियम और कार्यान्वयन:** केंद्र सरकार अधनियम के कार्यान्वयन के लिये नियम बनाने हेतु अधिकृत है, जबकि राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश केंद्रीय सहायता से इसे लागू करते हैं।
- **मुख्य प्रावधान:** SC/ST अधनियम सदस्यों के खलिफ शारीरिक हस्त, उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव सहति वशिष्ट अपराधों को परभासित करता है। यह इन कृत्यों को "अत्याचार" के रूप में मान्यता देता है और अपराधियों के लिये कठोर दंड निर्धारित करता है।
 - अधनियम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार करने के दोषी पाए जाने वालों के लिये कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहति 1860 (जिसे अब भारतीय न्याय संहति, 2023 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है) के तहत दिये गए दंड से अधिक दंड शामिल हैं।
 - अग्रम जमानत प्रावधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधनियम, 1989 की धारा 18 दंड प्रक्रिया संहति 1973 (जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहति, 2023 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है) की धारा 438 के कार्यान्वयन पर रोक लगाती है, जो अग्रम जमानत का प्रावधान करती है।
 - अधनियम में त्वरति सुनवाई के लिये वशिष्ट न्यायालयों की स्थापना और अधनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये वरषिठ पुलसि अधिकारियों के नेतृत्व में राज्य संतर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रक्रोष्ठों की स्थापना का आदेश दिया गया है।
 - अधनियम के तहत अपराधों की जाँच पुलसि उपाधीकरक (DSP) के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिये और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिये।
 - इस अधनियम में पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें वित्तीय मुआवजा, कानूनी सहायता और सहायक सेवाएँ शामिल हैं।
- **बहिष्करण:** यह अधनियम अनुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच हुए अपराधों को कवर नहीं करता है; इनमें से कोई भी एक-दूसरे के खलिफ अधनियम को लागू नहीं कर सकता है।
- **वर्तमान संशोधन:**
 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधनियम, 2015: वर्ष 2015 के संशोधन का उद्देश्य अधिक कठोर प्रावधानों को शामिल करके और अधनियम के दायरे का वस्तिकरकरके अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुरक्षा को मजबूत करना था।
 - जूते की माला पहनाना, मैला ढाने के लिये मजबूर करना और सामाजिक या आरथिक बहिष्कार तथा कस्ती भी तरह का सामाजिक बहिष्कार करना जैसे अपराधों की नई शरणियों को अब अपराध माना जाता है।
 - यौन शोषण और बनियां सहमति के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जानबूझकर छूना अपराध माना जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को देवदासी बनाने जैसी प्रथाएँ स्पष्ट रूप से गैरकानूनी हैं।
 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित करतव्यों की उपेक्षा करने वाले लोक सेवकों को कारावास का सामना करना पड़ता है।
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधनियम, 2018: कस्ती आरोपी को गरिफ्तार करने से पहले वरषिठ पुलसि अधीकरक की मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया गया है। बनियां पूरव मंजूरी के तत्काल गरिफ्तारी की अनुमति दी गई है।

SC और ST अधनियम, 1989 की कमयाँ क्या हैं?

- **वशिष्ट न्यायालयों के लिये अपराध संसाधन:** अत्याचार के मामलों को नपिटाने हेतु नामति वशिष्ट न्यायालयों में अक्सर प्रयाप्त संसाधनों और बुनियादी ढाँचे का अभाव होता है।
 - इनमें से कई अदालतें SC/ST अधनियम के दायरे से बाहर के मामलों को संभालती हैं, जिसके परणामस्वरूप अत्याचार के मामलों का लंबति होना और उनका धीमी गति से नपिटारा होता है।
- **अपराध पुनर्वास प्रावधान:** अधनियम पीड़ितों के पुनर्वास पर सीमति विवरण प्रदान करता है तथा अस्पष्ट तरीके से केवल सामाजिक और आरथिक सहायता पर ही ध्यान केंद्रित करता है।
 - पीड़ितों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कठनियाँ सहति कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पीड़ितों को आरथिक रूप से आत्मनिरभर बनने में सहायता करने के लिये अधिक व्यापक पुनर्वास उपायों की आवश्यकता है।
- **जागरूकता का अभाव:** पीड़ितों और कानून प्रवरतन अधिकारियों सहति लाभार्थियों में अक्सर अधनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता का अभाव होता है।
 - इस कानून के सख्त प्रावधानों, जिसमें बनियां वारंट के गरिफ्तारी और गैर-जमानती अपराध शामिल हैं, के कारण दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। आलोचकों का तरक है कि कानून के व्यापक दायरे के कारण गैर-SC/ST पृष्ठभूमि के व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं और उन्हें परेशान किया जा सकता है।
- **कवर किये गए अपराधों का सीमति दायरा:** कुछ अपराध, जैसे ब्लैकमेलिंग, जिसके कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच अत्याचार होते हैं, इस अधनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कवर नहीं किये गए हैं।
 - अधनियम की अत्याचार की परभाषा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सामना किये जाने वाले सभी प्रकार के दुरव्यवहार शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिये ऐसे अपराधों को शामिल करने के लिये संशोधन की आवश्यकता है।

SC और ST अधनियम, 1989 के संबंध में न्यायकि अंतरदृष्टि

- **कनुभाई एम. परमार बनाम गुजरात राज्य, 2000:** गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह अधनियम अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच किये गए अपराधों पर लागू नहीं होता है।
 - तरक है कि इस अधनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनके समुदाय से बाहर के व्यक्तियों द्वारा किये गए

अत्याचारों से बचाना है।

- राजमल बनाम रतन सहि, 1988: पंजाब एवं हरयिणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि SC एवं ST अधिनियम के तहत स्थापति वशीष न्यायालय, वशीष रूप से अधिनियम से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिये नामति हैं।
 - फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि इन अदालतों को नियमित मजस्ट्रेट या सत्र अदालतों के साथ भ्रमति नहीं किया जाना चाहयि।
- अमुगम सेरवाई बनाम तमलिनाडु राज्य, 2011: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि SC/ST समुदाय के किसी सदस्य का अपमान करना SC और ST अधिनियम के तहत अपराध है।
- सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2018: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अग्रमि जमानत प्रावधानों का बहिकार पूरण प्रतिबंध नहीं है।
 - इसका अर्थ यह है कि भिले ही धारा 18 अग्रमि जमानत पर रोक लगाती हो, फरि भी अदालत ऐसे मामलों में अग्रमि जमानत दे सकती है, जहाँ अत्याचार या उल्लंघन के आरोप झूठे प्रतीत होते हों।

?????? ??????

प्रश्न. SC/ST अधिनियम, 1989 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। हाल के संशोधन और न्यायिक नियम इस कानून के प्रवर्तन और व्याख्या को किसी प्रकार आकार देते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रतिभेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supreme-court-ruling-on-the-sc-and-st-act-1989>

